1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)

1.1. UNFCCC क्या है?

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा और सिद्धांत निर्धारित करता है।
- इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके।
- इस तरह के स्तर को एक समय सीमा के भीतर हासिल किया जाना चाहिए ताकि पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सके, यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा न हो और आर्थिक विकास को सतत् तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके।
- यह 2015 पेरिस समझौते की मूल संधि है।

1.2. स्वीकृति और सचिवालय

- 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED), जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, में 154 राज्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ।
- इसका मूल सचिवालय जिनेवा में था लेकिन 1996 में इसे बॉन (जर्मनी) में स्थानांतरित कर दिया गया।

1.3. सर्वोच्च निकाय

- पार्टियों का सम्मेलन (COP) कन्वेंशन का "सर्वोच्च निकाय" है, यानी इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
- यह उन सभी देशों का एक संघ है जो कन्वेंशन के पक्षकार हैं। COP की बैठक हर साल होती है, जब तक कि पार्टियां अन्यथा निर्णय न लें।
- 2022 तक, UNFCCC में 198 पार्टियाँ थीं।

1.4. UNFCCC के तीन समूह

अनुबंध I पार्टियाँ

- उन औद्योगिक देशों को शामिल करें जो 1992 में OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के सदस्य थे, साथ ही परिवर्तनकाल में अर्थव्यवस्था वाले देश (Economies in Transition-EIT पार्टियां), जिनमें रूसी संघ, बाल्टिक राज्य और कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय शामिल राज्य थे।

अनुबंध II पार्टियाँ

- इसमें अनुबंध I के OECD सदस्य शामिल हैं, लेकिन EIT पार्टियाँ नहीं।

- इसके तहत पार्टियों को विकासशील देशों को कन्वेंशन के तहत उत्सर्जन में कमी की गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने में मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, उन्हें EIT पार्टियों और विकासशील देशों में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए "सभी व्यावहारिक कदम उठाने" होंगे।
- अनुबंध II पार्टियों द्वारा प्रदान की जाने वाली फंडिंग ज्यादातर कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

गैर-अनुबंध I पार्टियाँ

- ये अधिकतर विकासशील देश हैं। विकासशील देशों के कुछ समूहों को कन्वेंशन द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है, जिसमें निचले तटीय क्षेत्रों वाले देश और मरुस्थलीकरण और सूखे की संभावना वाले देश शामिल हैं।

1.5. UNFCCC की अवधारणा

- UNFCCC जलवायु संदर्भ में **"सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी"** की अवधारणा का समर्थन करता है। इसका मतलब यह है कि जहां विकासशील देशों की पार्टियों से जलवायु शमन में योगदान की उम्मीद की जाती है, वहीं विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन और उसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है।

1.6. डेटा एकत्र करना और रिपोर्टिंग करना

- UNFCCC में घरेलू GHG उत्सर्जन के बारे में डेटा तैयार करने और साझा करने के लिए देशों के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।
- UNFCCC के तहत, सभी पार्टियों को राष्ट्रीय GHG सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और विकसित देश के पार्टियों को शमन नीतियों और GHG उत्सर्जन पर इन नीतियों के अनुमानित प्रभाव के अनुमानों का अधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

महत्वपूर्ण COPs

COP	वर्ष	स्थान	महत्त्व
COP 3	1997	क्योटो, जापान	क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया
COP 7	2001	माराकेच, मोरक्को	माराकेच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिए चरण निर्धारित)
COP 8	2002	नई दिल्ली, भारत	दिल्ली घोषणा. जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
COP 13	2007	बाली, इंडोनेशिया	बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना

COP 14	2008	पॉज़्नान, पोलैंड	क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष लॉन्च किया गया
COP 15	2009	कोपेनहेगन, डेनमार्क	विकसित देशों ने 30 बिलियन अमरीकी डालर तक का वादा किया
COP 16	2010	कैनकन, मेक्सिको	हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) की स्थापना की गई
COP 18	2012	दोहा, क़तर	क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन (1990 के स्तर की तुलना में GHG उत्सर्जन में 18% की कमी)
COP 19	2013	वारसॉ, पोलैंड	हानि और क्षति के लिए वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि
COP 21	2015	पेरिस, फ्रांस	पेरिस समझौता. अमीर देशों द्वारा सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की प्रतिज्ञा
COP 24	2018	कटोविस, पोलैंड	पेरिस समझौते के लिए नियम पुस्तिका
COP 26	2021	ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम	ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा। भारत ने नेट ज़ीरो लक्ष्य 2070 की घोषणा की।

2. क्योटो प्रोटोकॉल

2.1. क्योटो प्रोटोकॉल क्या है?

- क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पहला सेट है।
- यह औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। लक्षित गैसें हैं:
    - कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)
    - मीथेन (CH4)
    - नाइट्रस ऑक्साइड (N2O)
    - हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी)
    - पेरफ्लूरोकार्बन (पीएफसी)
    - सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6)

2.2. क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाना

- क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में जापान के क्योटो में UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन (COP) के तीसरे सत्र में अपनाया गया था। यह 1992 में हस्ताक्षरित एक रूपरेखा कन्वेंशन में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित था।
- प्रोटोकॉल को पूरी तरह से लागू करने के लिए, 1990 के कम से कम 55% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार देशों द्वारा समझौते की पुष्टि की जानी थी ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के समझौते में शामिल होने के अनिच्छुक होने के कारण, अनुसमर्थन की कुंजी तब आई जब रूस, जिसका 1990 के उत्सर्जन में 17% योगदान था, ने नवंबर 2004 में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल अंततः एक अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया। फरवरी 2005 में संधि के कार्यान्वियन पर, भारत सहित 141 देशों ने समझौते का अनुमोदन किया था, जो 61.6% उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते थे।

2.3. क्योटो प्रोटोकॉल का सिद्धांत

- क्योटो प्रोटोकॉल "सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर काम करता है।
- केवल औद्योगिक राष्ट्र जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, वे **2008-2012 की अवधि** तक दुनिया भर में छह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन (सामूहिक रूप से) को 1990 के स्तर से **औसतन 5.2%** कम करने के लिए बाध्य थे।

2.4. क्योटो प्रोटोकॉल की संरचना

अनुबंध I देश

- ये 41 औद्योगिक देश हैं जिन पर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का दायित्व है।
- 2008-2012 की अवधि के दौरान उनका संयुक्त उत्सर्जन औसतन 1990 के स्तर से 5.2% कम होना चाहिए।

अनुबंध II देश

- ये वे देश हैं जिन पर क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने का विशेष दायित्व है।
- यह समूह अनुबंध I देशों का एक उप-भाग था, इसमें वह देश शामिल नहीं थे, जो 1992 में, केंद्रीय योजना से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकाल में थे। इसमें कोई भी पूर्व-सोवियत ब्लॉक राज्य शामिल था।
- 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया, तब ये देश साम्यवादी नियोजित अर्थव्यवस्था से बाज़ार अर्थव्यवस्था की राह पर थे।

विकासशील देश

- भारत सहित इन देशों पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का कोई दायित्व नहीं है।

2.5. क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्रियाविधि

- प्रोटोकॉल देशों को तीन बाज़ार-आधारित क्रियाविधि के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का एक अतिरिक्त साधन प्रदान करता है:
    - स्वच्छ विकास क्रियाविधि
    - संयुक्त कार्यान्वयन
    - उत्सर्जन व्यापार
- क्योटो प्रोटोकॉल इस अर्थ में एक कैप एंड ट्रेड प्रणाली है कि इसमें अनुबद्ध-बी देशों से उत्सर्जन सीमित है और अतिरिक्त परमिट का व्यापार किया जा सकता है।
    - **अनुबंध बी देश:** विकसित देश जो पहली प्रतिबद्धता अवधि, 2008 से 2012 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य पर सहमत हुए।
- कैप एंड ट्रेड एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जिसमें उत्सर्जन भत्ते की खरीद और बिक्री शामिल है, जहां कुल उत्सर्जन सीमित या "कैप्ड" है।

स्वच्छ विकास क्रियाविधि (Clean Development Mechanism-CDM)

- प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में परिभाषित CDM, क्योटो प्रोटोकॉल (अनुबद्ध बी पार्टियां) के तहत उत्सर्जन-कटौती या उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता वाले देश को विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजना को लागू करने की अनुमति देता है।
- ऐसी परियोजनाएं बिक्री योग्य प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (certified emission reduction-CER) क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं, जो प्रत्येक एक टन CO2 के बराबर है, जिसे क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गिना जा सकता है।

संयुक्त कार्यान्वयन (Joint implementation-JI)

- क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 में परिभाषित संयुक्त कार्यान्वयन, क्योटो प्रोटोकॉल (अनुबद्ध बी पार्टियां) के तहत उत्सर्जन में कमी या सीमा प्रतिबद्धता वाले देश को किसी अन्य में उत्सर्जन-कटौती या उत्सर्जन हटाने वाली परियोजना से उत्सर्जन कटौती इकाइयां (emission reduction units-ERUs) अर्जित करने की अनुमति देता है। अनुबद्ध बी पार्टी, प्रत्येक एक टन CO2 के बराबर है, जिसे उसके क्योटो लक्ष्य को पूरा करने के लिए गिना जा सकता है।

उत्सर्जन व्यापार

- क्योटो प्रोटोकॉल (अनुबद्ध बी पार्टियां) के तहत प्रतिबद्धताओं वाली पार्टियों ने उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लक्ष्य स्वीकार कर लिए थें। इन लक्ष्यों को 2008-2012 की प्रतिबद्धता अवधि के दौरान अनुमत उत्सर्जन के स्तर, या निर्दिष्ट मात्रा के रूप में व्यक्त किया गया था।
- अनुमत उत्सर्जन को निर्दिष्ट राशि इकाइयों (assigned amount units-AAUs) में विभाजित किया गया है।
- उत्सर्जन व्यापार, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 में निर्धारित है, उन देशों को अनुमति देता है जिनके पास उत्सर्जन इकाइयाँ हैं - उत्सर्जन उन्हें अनुमति देता है लेकिन "उपयोग" नहीं

करता है - इस अतिरिक्त क्षमता को उन देशों को बेचने की अनुमति देता है जो अपने लक्ष्य से अधिक हैं।

2.6. क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित प्रमुख विकास

2011 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में COP 17

- डरबन के नतीजे वैश्विक जलवायु परिवर्तन व्यवस्था के लिए 2020 के बाद की व्यवस्थाओं पर चर्चा की प्रक्रिया स्थापित करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, एक डरबन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है।
- डरबन सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि स्थापित करना थी, जो 1 जनवरी 2013 को शुरू होगी और दिसंबर 2017 या दिसंबर 2020 में समाप्त होगी।
- विकसित देश क्योटो प्रोटोकॉल पार्टियों के लिए मात्रात्मक उत्सर्जन सीमा और कटौती उद्देश्य (Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives-QELROs) 2012 के दौरान निर्धारित किए जाने थे।

2012 में दोहा, कतर में COP 18

- सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल के समय को बढ़ाने, जो 2012 के अंत में समाप्त होने वाला था, को 2020 तक बढ़ाने और 2011 के डरबन प्लेटफ़ॉर्म को फिर से लागू करने के लिए एक समझौते पर पहुंचा।
- सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल हैं:
    - क्योटो प्रोटोकॉल का 2020 तक आठ साल का विस्तार
    - चीन (दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक), भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में किसी भी कटौती के अधीन नहीं हैं।

2014 में लीमा, पेरू में COP 20

- लीमा में COP 20 के दौरान पहली बार सभी देश अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमत हुए।
- सभी देश पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले अक्टूबर 2015 तक अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contribution-INDC) की घोषणा करने पर सहमत हुए।

3. पेरिस समझौता

3.1. पेरिस समझौता क्या है?

- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- समझौते में सभी देशों द्वारा अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता शामिल है, और देशों से समय के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने का आह्वान किया गया है।

- यह विकसित देशों को उनके जलवायु शमन और अनुकूलन प्रयासों में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।
- इसका व्यापक लक्ष्य "वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से **2 डिग्री सेल्सियस से नीचे** रखना" और "पूर्व-औद्योगिक स्तरों से तापमान वृद्धि को **1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित** करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना" है।

3.2. पेरिस समझौते को अपनाना

- इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में 196 दलों द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ।
- फरवरी 2023 तक, UNFCCC के 195 सदस्य (194 राज्य और यूरोपीय संघ) पेरिस समझौते के पार्टियां हैं।

3.3. पेरिस समझौते के मुख्य प्रावधान

दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य

- पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य की पुष्टि करता है, जबकि वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है।

शमन

- पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को तैयार करने, संचार करने और बनाए रखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए घरेलू उपायों को आगे बढ़ाने के लिए सभी पार्टियों द्वारा बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को स्थापित करता है।

सिंक और जलाशय

- पेरिस समझौता पार्टियों को वनों सहित GHG के सिंक और जलाशयों के उचित संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

बाज़ार और गैर-बाज़ार आधारित दृष्टिकोण

- समझौता उच्च महत्वाकांक्षा की अनुमति देने के लिए पार्टियों के बीच स्वैच्छिक सहयोग की संभावना को पहचानता है और किसी भी सहयोग के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शमन परिणामों का हस्तांतरण शामिल है।

हानि और क्षति

- यह चरम मौसम की घटनाओं और धीमी शुरुआत की घटनाओं सहित जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े नुकसान और क्षति को रोकने, कम करने और संबोधित करने के महत्व को पहचानता है, और नुकसान और क्षति के जोखिम को कम करने में सतत विकास की भूमिका को पहचानता है।

वैश्विक स्टॉकटेक

- 2023 में और उसके बाद हर 5 साल में होने वाला एक "वैश्विक स्टॉकटेक", व्यापक और सुविधाजनक तरीके से समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करेगा।

3.4. पेरिस समझौते की कार्यप्रणाली

- पेरिस समझौता देशों द्वारा की जाने वाली बढ़ती महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के पांच साल के चक्र पर काम करता है।
- हर पांच साल में, प्रत्येक देश से एक अद्यतन राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है - जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC के रूप में जाना जाता है।
- प्रत्येक क्रमिक NDC का उद्देश्य पिछले संस्करण की तुलना में महत्वाकांक्षा की बढ़ती उच्च डिग्री को प्रतिबिंबित करना है।
- दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में प्रयासों को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए, पेरिस समझौता देशों को दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों (long-term low greenhouse gas emission development strategies (LT-LEDS)) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है।
    - LT-LEDS NDC को दीर्घकालिक क्षितिज प्रदान करते हैं। NDC के विपरीत, वे अनिवार्य नहीं हैं।

3.5. पेरिस समझौते की रूपरेखा

- पेरिस समझौता स्वच्छ, जलवायु-लचीला भविष्य बनाने के लिए विकासशील देशों के दलों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए विकसित देशों के दायित्वों की पुष्टि करता है, जबकि पहली बार अन्य दलों द्वारा स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करता है।
- पार्टियाँ हर दो साल में सार्वजनिक वित्त के अनुमानित स्तर सहित भविष्य के समर्थन पर सांकेतिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- समझौते में यह भी प्रावधान है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) सहित कन्वेंशन का वित्तीय क्रियाविधि समझौते की पूर्ति करेगा।

वित्त

- पेरिस समझौता इस बात की पुष्टि करता है कि विकसित देशों को उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए जो कम संपन्न और अधिक असुरक्षित हैं।

तकनीकी

- पेरिस समझौता अच्छी तरह से काम कर रहे प्रौद्योगिकी तंत्र को व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी ढांचा स्थापित करता है।
- क्रियाविधि अपने नीति और कार्यान्वयन शाखाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण में तेजी ला रहा है।

क्षमता निर्माण

- पेरिस समझौता विकासशील देशों के लिए जलवायु-संबंधित क्षमता-निर्माण पर बहुत जोर देता है और सभी विकसित देशों से विकासशील देशों में क्षमता-निर्माण कार्यों के लिए समर्थन बढ़ाने का अनुरोध करता है।

3.6. प्रगति पर नज़र रखना

- पेरिस समझौते के साथ, देशों ने एक उन्नत पारदर्शिता रूपरेखा (enhanced transparency framework-ETF) स्थापित किया।
- ETF के तहत, 2024 से शुरू होकर, देश जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन उपायों और प्रदान या प्राप्त समर्थन में की गई कार्रवाइयों और प्रगति पर पारदर्शी रूप से रिपोर्ट करेंगे।
- ETF के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी ग्लोबल स्टॉकटेक में फीड की जाएगी जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी।

4. पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6

4.1. परिचय

- UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन (COP 26) का 26वां सत्र 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था।
- COP26 के प्रमुख परिणामों में से एक अनुच्छेद 6 का अनुमोदन था - कार्बन बाजारों को नियंत्रित करने वाली पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका।

4.2. अनुच्छेद 6 क्या है?

- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों को अपने NDC में निर्धारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 6 के तहत, एक देश (या देशों) एक या अधिक देशों को जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए GHG उत्सर्जन में कमी से अर्जित कार्बन क्रेडिट को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा।

4.3. अनुच्छेद 6 के तहत बाज़ार तंत्र

अनुच्छेद 6.2

- अनुच्छेद 6 के भीतर, अनुच्छेद 6.2 देशों में GHG उत्सर्जन में कटौती (या "शमन परिणाम") में व्यापार के लिए आधार बनाता है।
- अनुच्छेद 6.2 देशों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ उत्सर्जन में कटौती और निष्कासन का व्यापार करने की अनुमति देता है।
- इन व्यापारिक क्रेडिटों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणाम (Internationally Transferred Mitigation Outcomes-ITMOs) कहा जाता है। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (CO2e) में या अन्य मैट्रिक्स का उपयोग करके मापा जा सकता है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के किलोवाट-घंटे (KWh)।

अनुच्छेद 6.4

- अनुच्छेद 6.4 क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास क्रियाविधि के समान होने की उम्मीद है। यह पार्टियों के सम्मेलन की देखरेख में देशों के बीच GHG उत्सर्जन में कटौती के व्यापार के लिए एक क्रियाविधि स्थापित करता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र इकाई की देखरेख में एक वैश्विक कार्बन बाजार तैयार करेगा, जिसे "अनुच्छेद 6.4 पर्यवेक्षी निकाय" (6.4SB) कहा जाता है।
- किसी परियोजना को संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त क्रेडिट जारी करने की शुरुआत से पहले उस देश और पर्यवेक्षी निकाय दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए जहां इसे लागू किया गया है।

अनुच्छेद 6.8

- अनुच्छेद 6.8 शमन और अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए गैर-बाजार दृष्टिकोण को मान्यता देता है। यह वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सहयोग की शुरुआत करता है, जहां उत्सर्जन में कटौती का कोई व्यापार शामिल नहीं है।

5. UNFCCC COP 27

- UNFCCC (COP27) की पार्टियों का 2022 सम्मेलन 6 नवंबर से 20 नवंबर, 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था।

5.1. COP-27 से प्रमुख निष्कर्ष

हानि और क्षति

- सम्मेलन में पहली बार हानि एवं क्षति निधि पर सहमति बनी, जिसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।
- हानि और क्षति निधि उन देशों को धन मुहैया कराने के लिए एक समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक असुरक्षित और प्रभावित हैं।

1.5°C सीमा

- COP27 में, देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- शर्म अल-शेख में एक शमन कार्य कार्यक्रम स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल बढ़ाना था। कार्य कार्यक्रम 2026 तक जारी रहेगा जब इसके विस्तार पर विचार करने के लिए समीक्षा की जाएगी।

वित्तीय सहायता

- COP27 कवर निर्णय, जिसे शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना के रूप में जाना जाता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन के लिए प्रति वर्ष कम से कम 4-6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होने की उम्मीद है।
- COP27 में, विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, 2024 में 'जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य' निर्धारित करने पर विचार-विमर्श जारी रहा।

5.2. UNFCCC 27 और भारत

- भारत ने 26 अगस्त 2022 को अपना अद्यतन NDC और 14 नवंबर 2022 को अपनी दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति प्रस्तुत की है।
- ये दस्तावेज़ 2070 तक नेट-शून्य तक पहुंचने के लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, जिनके समय के साथ आवश्यकतानुसार विकसित होने की उम्मीद है।
- LT-LEDS के अनुसार, भारत का निम्न कार्बन विकास का दृष्टिकोण गरीबी उन्मूलन, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और आर्थिक विकास सहित विकास के लिए भारत की उच्च ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित है।